

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 294 / 2025

1. रामदास पुत्र सेवा सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सतपाल पुत्र सेवा सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. सेवा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण पुत्र सेवा सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. पूर्णदास पुत्र सेवा सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. हरबंश कौर पुत्री सेवा सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...11/9/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अनिलसिडाना व प्रतिवादी वकील नरेन्द्र कुमार चिनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है नम्बर 4 के. एच. आर. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-124/109 में प०न० 228/206 (30) कि०न० 3 सालम का वादी संख्या 1 व कि०न० 8 सालम का वादी संख्या 2 खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11/9/25..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।